<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>

<u>(चिकित्सा प्रकोष्ठ)</u>

सं. एफ.14(6)/ 2002-03/ एमसी/पार्ट/ 633 दिनांक 18-12-2007

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 17/ 2007

विषय: शल्य चिकित्सा के बाद इलाज से संबंधित चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति।

बड़ी कार्डिएक शल्य चिकित्सा/ कार्डियोलॉजी, आन्कोलॉजी, अंग इलाज आदि की शल्य चिकित्सा के बाद इलाज हेतु औषधियों की कीमत संबंधित नियम में निर्धारित शर्तों के अधीन केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के नियम 8(22) के प्रावधानों के अधीन प्रतिपूर्ति योग्य है। इन शर्तों को नीचे दिया गया है :

1. चूंकि औषधियां मंहगी होती हैं, दावा करते समय लाभार्थी द्वारा इलाज करने वाले विशेषज्ञ से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।
2. प्रतिपूर्ति तभी की जाएगी यदि प्रारंभिक इलाज किसी सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से लिया गया है।
3. प्रतिपूर्ति अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तारीख से 6 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए की जाएगी और यदि इसे आगे और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो इलाज को आगे जारी रखने के लिए सरकारी विशेषज्ञ की नई सिफारिश प्राप्त करनी होगी।

इस प्रकार नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा की गई है कि प्रतिपूर्ति, अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तारीख से 6 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए की जाएगी और यदि इसे आगे और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो इलाज को आगे जारी रखने के लिए सरकारी विशेषज्ञ की नई सिफारिश प्राप्त करनी होगी।

सभी को आदेश दिया जाता है कि 6 महीने के बाद इलाज की अवधि आगे बढ़ाने के संबंध में सरकारी विशेषज्ञ की विशिष्ट सिफारिश प्राप्त की जाए जिसके बगैर शल्य चिकित्सा के बाद इलाज से संबंधित दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। उनसे यह भी अनुरोध है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु दावों को प्रस्तुत करने से पहले चिकित्सा परिचर/ अस्पताल से उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बारे में अन्य शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

(राजीव पांडे)
मुख्य लेखा अधिकारी